

**12.44 hrs.**

**COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS BILL\*2005**

MR. SPEAKER: Now we shall take up Item No.12. Shrimati Kanti Singh to introduce a Bill.

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूँ कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Commission and State Commissions for Protection of Child Rights and Children's Courts for providing speedy trial of offences against children or of violation of child rights and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्रीमती कान्ति सिंह :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।